

**न्यायालय:-न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला (म०प्र०)**  
**(पीठासीन अधिकारी-धन कुमार कुड़ोपा)**

**दांडिक० प्रक० क०-689 / 15**

**संस्थापित दि० 30 / 10 / 15**

**फाईलिंग नं. 233504002482015**

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र,  
थाना आमला, जिला बैतूल (म०प्र०)

-----**अभियोजन**

--: **विरुद्ध :-**

रौनू पिता लक्ष्मण बटके, उम्र 49 वर्ष,  
जाति गोंड, पेशा मजदूरी, नि०ग्राम खारी गयावानी,  
थाना आमला, जिला बैतूल (म०प्र०)

----- **अभियुक्त**

--: **निर्णय :-**

(आज दिनांक 09 / 01 / 2017 को घोषित)

1— अभियुक्त के विरुद्ध भा०द०वि० की धारा 498 "ए" के तहत अभियोग है कि आपने दिनांक 06 / 10 / 15 समय 17:00 बजे मिडिल स्कूल के सामने खारी गयावानी थाना आमला जिला बैतूल म०प्र० के अंतर्गत फरियादी रंगोबाई वटके, जो कि आप अभियुक्त की पत्नी है, उसके साथ कुरता की।

2— दिनांक 09 / 01 / 17 को फरियादी रंगोबाई और अभियुक्त के मध्य राजीनामा होने से भा०द०वि० की धारा 323 के अपराध के आरोप से अभियुक्त को दोषमुक्त किया गया।

3— अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी ग्राम खारी गयावानी रहती है। मेहनत मजदूरी करती है। उसके तीन लडके तीन लडकी है। उसका पति रौनू कोई भी काम नहीं करता शराब पीते रहता है, बोलने पर आये दिन छोटी-छोटी बातों को लेकर उसके साथ गाली गुप्तार कर मारपीट कर मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता है।

4— प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी० 1 है जिसके आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्रमांक 536 / 15 भा.द.सं धारा-498 "ए", 323 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दिनांक 08 / 10 / 15 को मौका नक्शा प्र.पी. 2 तैयार किया गया। साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।

5— अभियुक्त के विरुद्ध धारा 313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त का अभियुक्त

परीक्षण किया गया। अभियुक्त ने अपने अभियुक्त परीक्षण में कहा कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है। बचाव पक्ष ने अपने बचाव में कोई बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

**6- : न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न यह है कि :-**

1-“क्या आपने दिनांक 06/10/15 समय 17:00 बजे मिडिल स्कूल के सामने खारी गयावानी थाना आमला जिला बैतूल म०प्र० के अंतर्गत फरियादी रंगोबाई वटके, जो कि आप अभियुक्त की पत्नी है, उसके साथ कुरता की?”

**:- निष्कर्ष एवं उसके आधार :-**  
**विचारणीय प्रश्न क० 1 का निराकरण**

7- अभियोजन साक्षी रंगोबाई (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि घटना दिनांक शाम 5-6 के बीच वह गांव से स्कूल के पास से घर जा रही थी उसी समय उसका पति रौनू आया और उसके साथ गाली गलौच करने लगा तो उसने मना किया तो उसके साथ लकड़ी से मारपीट की जिससे उसे बांये कोहनी व पीठ पर चोट आई थी एवं दोनों जांघों पर चोट आई थी। घटना रिपोर्ट उसने थाना आमला में की थी जो प्र०पी० 1 है। पुलिस ने उसका मेडिकल करवाया था। घटना स्थल पर पुलिस आई थी। घटना नक्शा मौका प्र०पी० 2 है। शासन की ओर से पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न में इस गवाह ने यह अस्वीकार किया है कि आरोपी उसके साथ गाली गुप्तार कर मारपीट कर व मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता है। आगे इस गवाह ने व्यक्त किया है कि साक्षी को प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी० 1 का भाग पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उसके द्वारा ऐसी रिपोर्ट लिखाने से इंकार किया एवं पुलिस कथन प्र०पी० 3 का ए से ए भाग पुलिस बताने से इंकार किया।

8- इस गवाह ने अपने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 4 में यह स्वीकार किया है कि उसने उसके पति को शराब पीने से मना किया और शराब छोड़ने के लिए समझाईश दी थी नहीं मानने पर आरोपी को उसने आरोपी की शिकायत की थी पुलिस को भी उसने ऐसा ही बताया था अगर उक्त रूप में पुलिस बयान में पुलिस रिपोर्ट न लिखी हो तो वह उसका कोई कारण नहीं बता सकती। आगे इस गवाह ने व्यक्त किया है कि मारपीट या लड़ाई झगड़े या प्रताड़ना का कोई विवाद नहीं है। आगे इस गवाह ने यह भी स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि आरोपी उसका पति है वह उसके साथ अच्छे से रह रही है और बिना किसी डर दबाव के स्वेच्छया पूर्वक राजीनामा पेश कर प्रकरण समाप्त करना चाहती है। यह गवाह स्वयं फरियादी है और उक्त गवाह ने अपनी मुख्यपरीक्षा सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा में अभियुक्त के द्वारा फरियादी के साथ कुरता की, का समर्थन नहीं किया। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य से मुख्य परीक्षा, सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा से भा०दं०वि० की धारा 498 “ए” के तथ्यों का समर्थन नहीं किया है।

9- उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त ने फरियादी रंगोबाई वटके, जो कि आप अभियुक्त की पत्नी है, उसके साथ कुरता की। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न कं. 1 का निराकरण “अप्रमाणित” रूप से किया जाता है।

10— उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त ने फरियादी रंगोबाई वटके, जो कि आप अभियुक्त की पत्नी है, उसके साथ कुरता की। इस प्रकार अभियुक्त रौनू को भा०द०वि० की धारा-498 "ए" के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

11— अभियुक्त के धारा-313 द०प्र०स० के पूर्व प्रस्तुत मुचलका भारमुक्त किया जावे। अभियुक्त का धारा 428 द०प्र०स० का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

12— प्रकरण में सम्पत्ति कुछ नहीं।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं  
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित।

(धनकुमार कुड़ोपा)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, जिला बैतूल म०प्र०

(धनकुमार कुड़ोपा)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, जिला बैतूल म०प्र०